

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया



पति अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

पत्र संख्या :- 579/2022

पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

1. हरविन्द्र सिंह पुत्र मकखन सिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

बनाम

वादी

1. कशमीरसिंह पुत्र सुवासिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर
2. चन्दसिंह पुत्र जग्गोबाई पत्नी हुक्मसिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर
3. चन्नो बाई पुत्री जग्गो बाई पत्नी हुक्मसिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर
4. जसो बाई पुत्री जग्गो बाई पत्नी हुक्मसिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर
5. जसपाल सिंह पुत्र जीत सिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर
6. जीतसिंह पुत्र सुवासिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर
7. जोगेन्द्रसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर
8. धर्मा बाई पत्नी गुरनामसिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर
9. परमजीतकौर पुत्री गुरनामसिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर
10. बलविन्द्र सिंह पुत्र गुरनामसिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर
11. बलविन्द्र सिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर
12. बलवीरसिंह पुत्र जग्गो बाई पत्नी हुक्मसिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर
13. बसो बाई पुत्री गुरनामसिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर
14. बसो बाई पुत्री जग्गो बाई पत्नी हुक्मसिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर
15. बसो बाई पुत्री गुरनामसिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर
16. बसो बाई पुत्री गुरनामसिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर
- 17/1 गुरनामसिंह पुत्र रानी पत्नी साहबसिंह जाति रायसिख निवासी खैरुवाला तहसील व जिला मानसा पंजाब
- 17/2 रुपा बाई पुत्री रानी पत्नी कुन्दनसिंह जाति रायसिख निवासी पतरोडा 12 पी तह. अनुपगढ
- 17/3 अमरो बाई पुत्री रानी पत्नी भगवानसिंह जाति रायसिख निवासी जामसर तहसील व जिला विकानेर
18. सुखदेवसिंह पुत्र गुरनामसिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर
- 19 साधूसिंह पुत्र हरदत्तसिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर
- 19/1 सीमरो बाई पत्नी साधूसिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर
- 19/2 किन्दो बाई पुत्री साधूसिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर
- 19/3 संदीप पुत्र साधूसिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर
- 20 पंजाब नेशनल बैंक शाखा 49 एनजीसी हनुमानगढ टाउन
- 21 राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा हनुमानगढ ज.
- 22 तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 5.6.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना आर.ए.एस. के समक्ष वारंटे इनफिरसात के रूप में हमारे वहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादीगण गिन जागिन मुदई श्री कन्हैयालाल वकील प्रतिवादी सं. 17/2 गिन जानिव मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती

हरविन्द्र सिंह पुत्र मकखन सिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर की कब्जा काश्त:- प.नं. 162/250 मु.नं. 8 कि.नं. 16/0.070 है.

रानी पुत्री गुलाबसिंह 422/2755 हिस्सा, जीत सिंह पुत्र सुबासिंह 354/2755 हिस्सा, हुकमसिंह पत्नी जग्गोबाई 60/2755 हिस्सा, बलवीरसिंह पुत्र जग्गोबाई 60/2755 हिस्सा, चन्द सिंह पुत्र जग्गोबाई 60/2755 हिस्सा, बिद्धी बाई पुत्री जग्गो बाई 60/2755 हिस्सा, जरोबाई पुत्री जग्गो बाई 61/2755 हिस्सा, चन्नोबाई पुत्री जग्गोबाई 67/2755 हिस्सा, धर्मो बाई पत्नी गुरनाम सिंह 10/2755 हिस्सा, बंसोबाई पुत्री गुरनाम सिंह 10/2755 हिस्सा, परमजीत कौर पुत्री गुरनाम सिंह 10/2755 हिस्सा, मंगलसिंह पुत्र गुरनामसिंह 10/2755 हिस्सा, सुखदेव सिंह पुत्र गुरनामसिंह 10/2755 हिस्सा, बलविन्द्र सिंह पुत्र गुरनामसिंह 10/2755 हिस्सा, कश्मीरसिंह पुत्र सुबासिंह 309/2755 हिस्सा, मंगलसिंह पुत्र बग्गासिंह 169/2755 हिस्सा, बलविन्द्र सिंह/प्रितमसिंह 308/2755 हिस्सा, साधुसिंह पुत्र प्रितमसिंह 333/2755 हिस्सा, जसपालसिंह पुत्र जीतसिंह 131/2755 हिस्सा, जोगेन्द्र सिंह पुत्र प्रितम सिंह 308/2755 हिस्सा जाति रायसिख निवासीयान फतेहपुर की कब्जा काश्त:-

प.नं. 162/208 मु.नं. 8 कि.नं. 16 ता 20/1/1.068 है.

प.नं. 162/251 मु.नं. 17 कि.नं. 4/1/0.169, 5 ता 10/1.518 है. कुल 2.755 है.

1. रहन जसपालसिंह पुत्र जीतसिंह 131/2755 हिस्सा पीएनबी शाखा 49 एन.जी.सी हनुमानगढ टाउन
2. बलविन्द्र सिंह पुत्र प्रितम सिंह 308/2755 हिस्सा आर.एम.जी.बी. शाखा हनुमानगढ टाउन

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में रथगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक:-पीडी/भूअ./22/2061 दिनांक 05.06.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज मुब्लिक बाबत 100/- खर्चा मुकदमे के मय शूद वा फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

यसक्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 5.6.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं
उपरवाह अधिकारी
संगरिया